

**दिल्ली विकास प्राधिकरण
रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
रोहिणी सेक्टर-14, दिल्ली-110085**

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

एनआईटी नंबर 03/आरएससी/डीडीए/2022-23 (पहली री-कॉल)

कार्य का नाम:- रोहिणी खेल परिसर का रखरखाव, डीडीए

उपशीर्ष :- आरएससी डीडीए के अंतर्गत सेक्टर-3 (रोहिणी) में मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर जिमनैजियम/फिटनेस सेंटर का संचालन, रखरखाव एवं संचालन।

आरक्षित मूल्य:- रु. 94,003/- प्रति माह

वार्षिक अनुमानित अनुबंध मूल्य:- रु. 11,28,036/-

अर्नेस्ट मनी :- रु. 22,561/-

समय की अनुमति:- 12 महीने

ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि:- 28/09/2022 अपराह्न 3:00 बजे तक

ऑनलाइन बोली खोलने की तिथि: 30/09/2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे

ऑनलाइन वित्तीय बोली खोलने की तिथि:- बाद में सूचित किया जाएगा

निविदा शुल्क

1. बोली लगाने वाले रुपये का एक गैर-वापसी योग्य शुल्क जमा करेंगे। "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी। केकेबीके0000184) " के साथ खाता संख्या 1611994900 वाले "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के खाते में आरटीएस / एनईएफटी के माध्यम से 500 / - प्लस जीएसटी @ 18% प्रति निविदा। तथा भुगतान विवरण के साथ यूटीआर नंबर ऑनलाइन अपलोड करें। **यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह खाता ईएमडी जमा खाते से अलग है।**
2. यदि किसी कारण से निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है, तो बोलीदाता, जिसने पहले ही निविदा शुल्क का भुगतान कर दिया है, को फिर से निविदा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।
3. यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली को वापस ले लेता है या किसी भी तरीके से कार्य करता है जिससे निविदा रद्द हो जाती है या निविदा को फिर से आमंत्रित किया जाता है और यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे बोलीदाता को भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति देता है, तब भी निविदा शुल्क के किसी भी समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी जैसा कि में कहा गया है ऊपर बिंदु 2।
4. यदि कोई ठेकेदार बोली जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है, तो संबंधित ठेकेदार निविदा के लिए पात्र नहीं होगा।
5. निविदाकारों द्वारा निविदा खुलने तक किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्चतम बोली लगाने वाले से ही संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी।

नियम और शर्तों, विशेष कार्य की पात्रता मानदंड, अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in देखें। ई-निविदा पर किसी भी सहायता के लिए कृपया संबंधित ईई या मेसर्स एनआईटी से ईमेल cppp-nic@nic.in पर संपर्क करें। या 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 और 0120-6277787 पर या - support-eproc@nic.in पर मेल करें।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण
रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
रोहिणी सेक्टर-14, दिल्ली-110085**

एनआईटी नंबर 03/आरएससी/डीडीए/2022-23 (पहली री-कॉल)

1. अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:- आरएससी के अंतर्गत सेक्टर-3 (रोहिणी) में जिमनैजियम/फिटनेस सेंटर का संचालन, रखरखाव एवं संचालन एक वर्ष की अवधि के लिए (बारह महीने) लाइसेंस शुल्क के आधार पर। निविदा दो भागों में होगी अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' शामिल होगी। निर्धारित तरीके के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई बोली को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।
2. केवल वे एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिनका समाप्त होने वाले पिछले सात वित्तीय वर्षों के पांच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में न्यूनतम कारोबार ₹ 5.00 लाख (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर मल्टी-जिम के लिए) और 2.00 लाख (ग्रीन क्षेत्रों में मल्टी-जिम के लिए) है। 31/03/2021, वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित और प्रमाणित, निविदाएं जमा करने के हकदार हैं। यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम टर्नओवर मानदंड केवल जिम संचालन से ही पूरा किया जाना चाहिए और इसे विशेष रूप से पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा एक वैध यूडीआईएन नंबर के माध्यम से प्रमाणित किया जाना चाहिए।
3. केवल वे एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिन्हें सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी स्वायत्त निकायों, सरकार में अनुभव है। स्कूलों और निजी जिमों पर विचार किया जाएगा।
4. जिमनैजियम/फिटनेस सेंटर सेक्टर-3 (रोहिणी) में स्थित है। निविदाएं इच्छुक निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहां खोली जाएंगी रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

निविदा के भाग - I में, अर्थात् तकनीकी बोली, निविदाकर्ता को "तकनीकी बोली" के तहत अगले पृष्ठ पर सूचीबद्ध विवरण अपलोड करना होगा।

निविदा के भाग- II में वित्तीय बोली होनी चाहिए जिसमें निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित मासिक लाइसेंस शुल्क (प्रति माह) दर्शाया गया हो। प्रस्ताव शब्दों और अंकों दोनों में दिया जाना चाहिए।

एस एल. ना।	एनआईटी संख्या	अग्रिम धन	अनुबंध की अवधि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय
	कार्य का नाम			दस्तावेज/तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	
		आरक्षित मूल्य			
1.	एनआईटी सं. 03/आरएससी/डीडीए/2022-23 (पहली बार फिर से कॉल)	रु. 22,561/-	12 महीने	28/09/2022	बाद में सूचित किया जाएगा
	अब: रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए का रखरखाव। उपशीर्ष:- आरएससी के अंतर्गत सेक्टर-3 (रोहिणी) में मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर जिमनैजियम/फिटनेस सेंटर का संचालन, रखरखाव एवं संचालन।	रु. 94,003/- प्रति महीने		अपराह्न 3:00 बजे तक	
				30/09/2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे	

टिप्पणी:

1. निविदाकर्ता द्वारा निविदा खुलने तक किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्चतम राशि की निविदा देने वाली एजेंसी से संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी।
2. निविदा के भाग-I अर्थात् तकनीकी बोली में, निविदाकर्ता तकनीकी बोली के तहत सूचीबद्ध दस्तावेजों के प्रमाणित प्रमाण का विवरण अपलोड करेगा। कंपनी/फर्म के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र और एसोसिएशन के अनुच्छेद की एक सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत की जाती है। निविदा के भाग-II में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित मासिक शुल्क (प्रति माह) को दर्शाने वाली वित्तीय बोली होनी चाहिए।
3. ई-निविदा पोर्टल पर निविदा दस्तावेज प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं www.eprocure.gov.in/eprocure/app या www.dda.org.in तक निविदा जमा करने की अंतिम तिथि। अर्नेस्ट मनी की राशि रु. 22,561 / - आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी. केकेबीके 0000184)" के साथ खाता संख्या 1614159849 में जमा किया जाएगा। निविदाकर्ता को आरटीजीएस/एनईएफटी का विशिष्ट लेनदेन संदर्भ ई-निविदा प्रणाली में निर्धारित तिथि तक अपलोड करना होगा। डीडीओ की चिंता

अद्वितीय लेनदेन संदर्भ संख्या के आधार पर अपने बैंकों से निविदा बयाना राशि सत्यापित करवाएगी। निविदा खोले जाने से पहले प्रत्येक आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतान के लिए।

4. बोलीदाता केवल एक कार्य के लिए एक यूटीआर का उपयोग करेगा। यदि यह पाया जाता है कि उसने विभिन्न निविदाओं के लिए एक यूटीआर नंबर का उपयोग किया है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत सभी निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में डीडीए में आगे की निविदा से वंचित कर दिया जाएगा।
5. **नियम और शर्तों, विशेष कार्य की पात्रता मानदंड, अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in देखें। ई-निविदा पर किसी भी सहायता के लिए कृपया संबंधित सचिव/डीडीओ या मैसर्स एनआईसी से ईमेल cppp-nic@nic.in पर संपर्क करें। या 0120 -4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 और 0120-6277787 पर या - support-eproc@nic.in पर मेल करें।**

निविदाकारों के लिए महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें। निविदाकारों को निविदा में भाग लेने से पहले इसे पढ़ना आवश्यक है।

1. आरएससी के तहत सेक्टर-3 (रोहिणी) में जिमनैजियम/फिटनेस सेंटर के संचालन, रखरखाव और संचालन के लिए निविदा के लिए निर्दिष्ट स्थान पर ऑनलाइन रखा जाएगा। "तकनीकी बोली" के साथ-साथ "ईएमडी का संदर्भ" वाला पहला कवर।
2. तकनीकी बोलियां निर्धारित तिथि एवं समय पर एक समिति या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा ऑनलाइन खोली जाएंगी। केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां अर्हता प्राप्त करती हैं, जिसकी सूचना एक समय और स्थान पर दी जाएगी। तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ता को वित्तीय बोली खोलते समय या तो व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बोली पावती रसीद के साथ उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी या वे अपने दूरस्थ छोर पर बोली खोलने के कार्यक्रम को ऑनलाइन देख सकते हैं।
3. निविदाकर्ता को रु. 22,561/- आरटीजीएस/ एनईएफटी के रूप में बयाना राशि के रूप में। यदि निविदा स्वीकार की जाती है, तो राशि डीडीए द्वारा सुरक्षा जमा के हिस्से के रूप में रखी जाएगी, अन्यथा इसे वापस कर दिया जाएगा। हालांकि बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. निविदा दो भागों में ऑनलाइन जमा की जाएगी, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली।

तकनीकी बोली

बोली में निविदाकारों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

- i. निविदा शुल्क की स्कैन की गई प्रति आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के खाते में "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी। केकेबीके0000184), (आईएफएससी। केकेबीके0000184) के साथ खाता संख्या 1611994900 में जमा की जाएगी। **कृपया ध्यान दें कि यह खाता ईएमडी बैंक खाते से अलग है।**
- ii. बयाना राशि की स्कैन की गई प्रति आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली -110049, (आईएफएससी। केकेबीके0000184) के साथ खाता संख्या 1614159849" में जमा की जाएगी। **कृपया ध्यान दें कि यह खाता निविदा शुल्क भुगतान खाते से अलग है।**
- iii. **कंपनी/फर्म के मामले में, पंजीकरण प्रमाण पत्र और एसोसिएशन के अनुच्छेद की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी है।**
- iv. **पार्टनरशिप फर्म के मामले में, पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन जमा किया जाएगा और प्रोपराइटरशिप फर्म के मामले में सभी प्रोपराइटर का विवरण और प्रोपराइटरशिप चिंता में प्रतिशत स्वामित्व।**
- v. बोली लगाने के अंतिम दिन तक सक्रिय और वैध जीएसटी पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति।
- vi. पैन नंबर की स्कैन कॉपी
- vii. एनआईसी में दिए गए प्रारूप के अनुसार निविदा स्वीकृति पत्र (कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाना है) की स्कैन कॉपी।
- viii. एनआईसी में दिए गए प्रारूप के अनुसार निविदा आवेदन पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- ix. 31/03/2021 को समाप्त होने वाले पिछले सात वित्तीय वर्षों के किसी भी पांच वित्तीय वर्षों के लिए बैलेंस शीट द्वारा समर्थित वार्षिक कारोबार की स्कैन की गई कॉपी और वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत ऑडिट डी और प्रमाणित।
- x. वैध UDIN के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित जिम संचालन से टर्नओवर की स्कैन की गई कॉपी।
- xi. ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ पंजीकरण के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति, यदि पहले से पंजीकृत है।
- xii. गैर-न्यायिक रु. 100/- स्टाम्प पेपर पर एक अंडरटेकिंग की स्कैन की गई प्रति, जिसमें निम्नलिखित खंड हों:-
 - a. ईएसआई/ईपीएफ विभागों द्वारा अनिवार्य ईएसआई/ईपीएफ अंशदान का भुगतान नहीं करने के लिए लगाए गए किसी भी दंड के लिए एजेंसी पूरी तरह से उत्तरदायी होगी और इस आशय का एक स्टॉप पेपर पर एक उपक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।
 - b. यदि एजेंसी का दावा है कि वह ईएसआईसी और ईपीएफ अधिनियमों के तहत खुद को पंजीकृत कराने के लिए बाध्य नहीं है (और ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ पंजीकरण का प्रमाण जमा नहीं करती है) तो इसे स्टॉप पेपर पर किया जा सकता है।
 - c. किसी भी कानून/संवधि के तहत कवर किए गए बोनस सहित सभी वैधानिक भुगतान, बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और डीडीए को किसी भी वित्तीय दायित्व से लाइसेंसधारी द्वारा संरक्षित किया जाएगा जो कि किसी भी सरकारी कानून, नीति, दिशानिर्देशों, कानून के गैर-अनुपालन के कारण उत्पन्न हो सकता है। आदि।
 - d. की स्कैन की गई प्रति कि एजेंसी को किसी भी सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है या प्रतिबंधित नहीं किया गया है। /पीएसयू या निजी संगठन एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/निविदाकर्ता बोली जमा करते समय।
- xiii. एनआईसी के खंड के अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

तकनीकी बोली के साथ आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेजों के संबंध में किसी भी निविदा में कमी पाई जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

मूल्य बोली

- i) -Sd- के रूप में वित्तीय बोली की अनुसूची

आरई /आरएससी